

# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

## कार्यसूची

### चतुर्थ सत्र

वीरवार, 13 दिसम्बर, 2018/22 मार्गशीर्ष, 1940 (शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

#### 1. प्रश्नोत्तर:

##### (1) तारांकित:

- (i) स्थगित  
(ii) दिन के लिए
- } पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

##### (2) अतारांकित:

- दिन के लिए
- } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

#### 2. कागजात सभा पटल पर रखे जाएंगे :

##### (1) श्रीमती सरवीन चौधरी, शहरी विकास मन्त्री, निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगी:-

- (i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विभाग, राज्य नगर योजनाकार, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्या:टी0सी0पी0-(बी)2-4/2010(रूल्ज़) एस.टी.पी. दिनांक 23.04.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 28.04.2018 को प्रकाशित; और
- (ii) हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2004 की धारा 30(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18 ।

- (2) **श्री विपिन सिंह परमार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री**, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश चिकित्सा शिक्षा सेवा(दसवां संशोधन) नियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्या:एच0एफ0 डब्ल्यू-बी0(बी)1-1/2016 दिनांक 15.10.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 23.10.2018 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।
- (3) **श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री**, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम का 51वां वार्षिक विवरण, वर्ष 2016-17 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

### 3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन :

- (1) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2018-19)**, समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी :-
- (i) समिति का **32वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 177वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2012-13) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग से सम्बन्धित है;
- (ii) समिति का **33वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 178वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2012-13) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित है;
- (iii) समिति का **34वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 184वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2011-12) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा उद्यान विभाग से सम्बन्धित है;
- (iv) समिति का **35वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 175वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2010-11) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा शहरी विकास विभाग से सम्बन्धित है;

- (v) समिति का 36वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 183वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2011-12) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा शहरी विकास विभाग से सम्बन्धित है;
- (vi) समिति का 37वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के प्रथम मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2007-08) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा शहरी विकास विभाग से सम्बन्धित है;
- (vii) समिति का 38वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के चतुर्थ मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2008-09) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा आयुर्वेद विभाग से सम्बन्धित है; और
- (viii) समिति का 39वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 126वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2008-09) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित है ।
- (2) श्री राम लाल ठाकुर, सदस्य, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2018-19), समिति का 11वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के अष्टम मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2013-14) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।
- (3) श्री सुरेश कुमार कश्यप, सभापति, सामान्य विकास समिति, (वर्ष 2018-19), समिति का छठा कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 14वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2011-12) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा पर्यटन विभाग से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।
- (4) श्री बिक्रम सिंह जरयाल, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2018-19), समिति का 8वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि ग्रामीण विकास विभाग की गतिविधियों से सम्बन्धित समीक्षा पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

4. विधान सभा कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदन:

कार्य-सलाहकार समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा)  
सभा में उपस्थापित किया जाएगा तथा स्वीकृति हेतु प्रस्ताव  
भी किया जाएगा ।

5. गैर-सरकारी सदस्य कार्य :

"संकल्प"

(गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों की सूची संलग्न है)

धर्मशाला-176215  
दिनांक: 12 दिसम्बर, 2018

यशपाल शर्मा,  
सचिव ।

\*\*\*\*

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)

# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

गैर-सरकारी सदस्य कार्य

'संकल्प'

चतुर्थ सत्र

वीरवार, दिनांक 13 दिसम्बर, 2018 को चर्चा हेतु लिए जाने वाले  
गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों की सूची:

क्र०सं०	सदस्य का नाम	उद्धरण
1.	श्री राजेन्द्र गर्ग:	"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि नगर परिषदों के साथ लगते गांव को नगर एवं ग्राम योजना के नियमों से बाहर किया जाए या इनमें ढील दी जाए जिससे की ग्रामिणों को हो रही परेशानियों से निजात दिलाने हेतु कोई नीति बनाने पर विचार करें।"
2.	श्री अनिरुद्ध सिंह:	"यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने बारे कोई नीति बनाने पर विचार करें।"
3.	श्री राकेश सिंघा:	"This House may discuss to give insurance cover to the farmers of the State for crop cultivation and recommends to the Government to form a policy."
4.	श्री सुन्दर सिंह ठाकुर:	"This House may discuss to legalize cultivation of Cannabis/Hemp for Medical use and Industrial purpose in the State and recommends to the Government to form a policy."
<b>पिछले सत्र में प्रस्तुत संकल्प पर आगे चर्चा होगी</b>		
	श्री बलबीर सिंह:	"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में Co-operative bank व Societies में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु नीति बनाने का विचार करें।"

सचिव,  
हि० प्र० विधान सभा।

\*\*\*\*